उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या 30/2019/229/92-2-2019-45जांच/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 14 फरवरी 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री नीरज कुमार सिंघल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध की गयी शिकायतों के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 17-01-2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में श्री सिंघल द्वारा अपने अधीनस्थों एवं कार्य पर शिथिल नियंत्रण रखने, जिला प्रशासन द्वारा चाहे गये प्राक्कलनों को समय से प्रेषित न करने, विलेज ड्रेनेज हेतु प्रशासनिक स्वीकृत लागत रू0 129.00 लाख के सापेक्ष गांव के अंदर जल निकासी हेतु नाली निर्माण का प्राक्कलन प्रेषित न करने तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के मध्य कम्युनिकेशन गैप होने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण श्री नीरज कुमार सिंघल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-बागपत के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-30/2019/229(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-2036/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0-श्री नीरज कुमार/पत्रा0-49/2018-19 दि0 17-01-2019 की **छाया प्रति** संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि श्री नीरज कुमार सिंघल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर 03 दिवस में शासन को उपलब्ध करायें। **(संलग्न यथोक्त)**

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुततकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-बागपत।

4- श्री नीरज कुमार सिंघल, अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बागपत द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in